

परिचालन संरक्षा का येलो बुलेटिन

पूर्व मध्य रेल

(मई-2022) अंक सं. - 47

मुख्यालय द्वारा किए गये निरीक्षण के दौरान पाए गए कमियों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए.


1.	दानापुर मंडल के चाकंद स्टेशन पर, प्राइवेट बुक नं.-7 जो 09/05/22 को जारी किया गया था, के पेज नं.-17 पर रात्रिकालीन 05 ट्रेनों का लाइन क्लियर का समय, TES समय, पासिंग समय और TOS समय अलग लिखावट में दर्ज पाया गया जो ऑन ड्यूटी स्टे.मा. के लिखावट से मेल नहीं खाता है। यह स्पष्ट इंगित करता है कि ऑन ड्यूटी स्टे.मा. के बदले कोई दूसरा इन सभी चीजों को रेकॉर्ड कर रहा था।
2.	गया स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम पुस्तिका में संलग्न नक्शा / डायग्राम (छोटा SWRD) उस स्टेशन संचालन नियम में वर्णित SIP से मिलान नहीं हो रहा है और ऐसी स्थिति में उसका सुधार कर बदलाव आवश्यक है।
3.	व.कार्मिक पदाधिकारी / दानापुर कार्यालय के दिनांक 04/02/2019 के आदेश के अनुसार स्टे.मा. / चाकंद को 06:00 Hrs to 14:00 hrs, 14:00 hrs to 22:00 hrs & 22:00 hrs to 06:00Hrs ड्यूटी रोस्टर करनी है, परन्तु दो रात्रि-रोस्टर चल रही है, जबकि इसके लिए अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।
4.	गया - दीन दयाल उपाध्याय सेक्शन में लगाए गए इंजीनियरिंग बोर्ड्स मानक के अनुकूल नहीं हैं कुछ बोर्ड्स ओ.एच.ई. मास्ट, कुछ रेल ग्राउंड्स पर लगा हुआ है। TP / TG बोर्ड्स ओ.एच.ई. मास्ट पर लगा हुआ है।
5.	बख्तियारपुर में, शंट सिग्नल के प्रावधान के बावजूद, लाइन नं. 3/5/6 से पी.क्यू.आर.एस. साइडिंग के लिए स्ट नहीं दिया जाता है और इस तरह सभी शंटिंग मूवमेंट्स में, प्वाइंटों को क्लैप किया जाता है जो की असुरक्षित है। स्ट अनुमति की जांच करके इस सुविधा को बहाल करनी चाहिए।
6.	कतरास / धनबाद में समपार फाटक नंबर 6/सी/3टी पर - उत्तर दिशा में गेट साइन बोर्ड यथा स्थान नहीं था, गेट लॉज में बिजली की आपूर्ति नहीं की गई थी, बैनर फ्लैग की होल्डिंग बार उपलब्ध नहीं थी, दक्षिण की ओर का स्पीड ब्रेकरबोर्ड जमीन पर गिरा था, रेलवे अधिनियम एक्ट बोर्ड अस्पष्ट हो गया है और पढ़ने योग्य नहीं था, शौचालय में पानी की आपूर्ति नहीं थी और समपार के बंद हालत में दोपहिया वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए उचित बाड़ नहीं लगा हुआ है।
7.	राजेंद्रनगर स्टेशन में, सलोपा ने पटना होम सिग्नल के लाल होने के बारे में सूचना दी लेकिन दिनांक 28/29.05.22 को गाड़ी सं. 14223 के गार्ड / मुख्यालय गया ने इस पर कोई सतर्कता नहीं दिखाये। ऐसे मामलों में यदि SPAD होता है, तो गार्ड वचाव के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा।
8.	जपला स्टेशन पर डाउन गुड्स साइडिंग में दिए गए पावर ब्लॉक के दौरान डाउन लूप लाइन का पावर भी वाधित हो जाता है जिससे परिचालन संबंधी समस्या पैदा हो जाती है। पावर आइसोलेशन/ इंटरप्टर लगाने की आवश्यकता है।
9.	विभिन्न ट्रेनों (13416, 12334, 15708, 15646 इत्यादि.) के ब्रेक वान के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ब्रेक वान में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं है।
10.	गया- चाकंद स्टेशन के बीच स्थित समपार फाटक नंबर 63 और 64 जो पहले दानापुर डिवीजन के नियंत्रण में था, अब गया / डीडीयू से जुड़े हुए हैं और यह सभी SWR / गया में वर्णित हैं लेकिन समपार फाटक के कार्य विवरण SWR / गया के परिशिष्ट 'ए' में नहीं दिया गया है।
11.	गया - दीन दयाल उपाध्याय सेक्शन में लगाए गए कॉशन इंडीकेटर्स पर गति वर्णित नहीं है।
12.	गया - देहरी ऑनसोन सेक्शन के फुटप्लेट निरीक्षण के दौरान पाया कि सभी DJ ओपन और DJ क्लोज लोकेशन के बाद ट्रेन नं. 12987 के सलोपा इंजन कॉरिडोर के अंदर स्टीन चेक के लिए नहीं गए। यदि नियम नहीं बदला है तो सभी सलोपा को इस स्थिति में स्टीन जाँच हेतु डीजे लोकेशन के बाद इंजन कॉरिडोर में जाना चाहिए।
13.	चाकंद के S & T स्टाफ द्वारा प्राप्त किये गए कुछ ऐसे सिग्नल फेलियर में पाए गए जिसपर मेमो प्राप्ति का कोई समय ही वर्णित नहीं है।
14.	दिनांक 28/29.05.22 को गाड़ी संख्या 14223 के ब्रेक वान निरीक्षण के दौरान देखा गया कि बख्तियारपुर स्टेशन से निकलने के बाद गार्ड/ मुख्यालय गया द्वारा लोपा / सलोपा को लूप क्लियरेंस की सूचना नहीं दी गई थी। सभी उपकरण मानक सूची के अनुसार पाए गए लेकिन दरवाजा खुला था और लॉक/सील नहीं था।

14/06/22

विशेष रूप से ध्यान दें :

- (i) अग्निशामक यंत्र को किसी कॉर्नर में जमीन की सतह पर नहीं रखना चाहिए। इसे दीवार पर लटका देना चाहिए।
- (ii) ऑन इयूटी स्टे.मा. को अपना कार्य किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए और किसी अन्य को पेनल पर कार्य करने / ब्लॉक यंत्र को परिचालन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- (iii) स्टेब्लिंग रजिस्टर में समुचित प्रविष्टि, लोड स्टेबल हो जाने के बाद सुनिश्चित करें।
- (iv) लाइन ब्लॉक होने की स्थिति में पर्याप्त स्टॉप कॉलर्स का प्रयोग सुनिश्चित करें।
- (v) गाड़ी परिचालन से जुड़े सभी रेल कर्मचारियों को सुगमतापूर्वक रेलवे नियमों / नियमावली की जानकारी से अद्यतन रहने हेतु "ECR- प सं द " एप्प का उपयोग करना चाहिए।
- (vi) गया/समस्तीपुर /वख्तियारपुर /चोपन में, यह नोट किया गया है कि COA से सतर्कता आदेश जारी की जा रही है और मुद्रित प्रतियों की संख्या बहुत अधिक है लेकिन प्रिंटर हेवी इयूटी वाली नहीं है। कागज और कॉर्टिजो की समुचित व्यवस्था नहीं है। सिस्टम को सेट करने के लिए हेवी इयूटी प्रिंटर और कार्ट्रिज/पेपर की व्यवस्था हेतु समुचित कार्रवाई की जाए।
- (vii) उन सभी स्टेशनों पर जहां VDU दिया गया है, जीएम/ईसीआर द्वारा बहुत पहले लिए गए निर्णय के अनुसार वातानुकूलित कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मंडलों को सलाह दी जाती है की सभी संबंधितों को तत्काल वितरित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें और उपरोक्त अनियमितताओं /विसंगतियों /विशेष ध्यान के अनुपालन के संबंध में इस कार्यालय को आगे की कार्यवाही हेतु सूचित करें।



(1504)
140622

(बी के दास)

मुख्य परिचालन प्रबंधक(सा)
हाजीपुर

सं. ई.सी.आर. /परि.सं./ येलो बुलेटिन/ 87 /505, दिनांक 14.06.22

वितरण:

- 1 प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।
2. मंडल रेल प्रबंधक .डी.डी.यू , दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर
3. वरि.मं.परि.प्रबंधक डी.यू डी ,दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
4. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सादर सूचनार्थ।

**YELLOW BULLETIN OF OPERATING SAFETY
EAST CENTRAL RAILWAY**

(MAY-2022 - ISSUE NO. - 47)

Contains Irregularities/Deficiencies detected during inspections

1.	At CKD station /DNR, Private number Book no.7 issued on 09/05/2022, page 17, it was found that timings of 05 trains passing during night hrs.were recorded on the private no. book itself along with line clear time, TES time, Passing time &TOS time in a different handwriting which clearly indicate that some other person in place of on duty SM was recording the things.
2.	The diagram attached to SWR (Mini SWRD) OF Gaya station is not tallying with the SIP No. as mentioned in SWR & as such needs to be replaced by corrected one.
3.	As per roster issued by Sr. DPO/DNR office dated 04.02.2019 at CKD, SMs are supposed to work in 06:00 hrs to 14:00 Hrs, 14:00 to 22:00 Hrs & 22:00 Hrs to 06:00 Hrs duty roster whereas Two night roster is in use but no notification has yet been made in this regard.
4.	Engineering boards placed in Gaya –DDU section are not as per the standard practice. Some boards are placed on OHE Masts/some are placed on rail ground. TP/TG boards are placed on OHE mast.
5.	At BKP, despite the provision of shunt signal, route is not given to PQRS siding from line no. 3/5/6 and as such in all shunting movement, points are clamped which is unsafe. Route permission to be examined & provided.
6.	At LC Gate No.6/C/3T / KTH/DHN, Gate sign board was misplaced in north side, Electric supply was not provided in gate lodge, Holding bar of banner flag was not available, Speed breaker board of south side was fallen on ground, Railway Act Board was faded and not readable, Toilet was without water supply & no fencing is available to stop two wheeler movement in closed condition.
7	At RJPB, ALP reported about Red aspect of PNBE Home Signal but Guard of train no.14223 dated 28/29.05.22 headquarter Gaya was not attentive to see the same. In such cases if SPAD happens, Guard will not be able to take any action to protect.
8	During power block of DN Goods sidings at JPL station, DN loop line Power also disconnected creating operational problem. Power Isolator/Interrupter needs to be provided.
9.	During Brake van inspections of different trains (13416, 12334, 15708, 15646 etc.) found that Stretcher is not available in the brake vans.
10.	LC gate no.63&64 situated between Gaya-CHK station which were under control of DNR division previously ,are now connected to Gaya/DDU and these are incorporated in SWR but working detail not given in Appendix 'A' of SWR.
11.	Caution Indicators are without the speed mentioned on the Board in Gaya –DDU section.
12.	At all DJ open & closed locations between Gaya to DOS, ALP of train No. 12987 was not going inside the engine corridor for routine check. Such practice to be adopted by all ALPs if rule has not changed.
13.	Some of the signal failure memos were found received by S&T staff/CKD without mentioning the time of receipt.
14.	During Brake van inspection of train No. 14223 on 28/29.05.22, it was observed that after leaving BKP station, loop clearance was not communicated by Guard HQ /Gaya to LP/ALP. All equipments found as per standard list but the door was open and not locked/sealed.

⑤
14.06.22

SPECIAL ATTENTION TO BE PAID:-

- (i) The fire extinguishers should not be kept on the ground surface. It should be hung on the wall.
- (ii) On Duty SM should not sublet his works and no one should be allowed to work on Panels/operate Block Instruments.
- (iii) Ensure proper entry in stabling register after load is stabled.
- (iv) Ensure use of adequate stop callers in case of line block.
- (v) All the Railway employees involved in train working should use the app "ECR-PASAND" to stay updated with Railway Rules/Manuals/Safety bulletins/Alerts etc.
- (vi) At Gaya /SPJ/BKP/CPU, it has been noted that caution is issued from COA and number of printed copies are too high but printer is not heavy duty. Proper arrangement of paper and cartridges not exist. Action in regard to Heavy duty printer and Cartridge /Paper to be taken to set the system.
- (vii) At all stations where VDU has been provided, arrangement of Room AC to be processed as per the decision taken by GM/ECR long back.

Divisions are advised to ensure immediate circulation (in yellow colour printout) to all concerned for initiating action and compliance of the above irregularities/anomalies/Special Attention and compliance may be sent to this office for onward action.


140622
(B. K. Das)
COM/G/ECR

No.ECR/OPTG.Safety/Yellow Bulletin/87/505, Dated-14.06.22

Distribution:- PCOM & PCSO for kind information please.

DRM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ.

Sr.DOM -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.

ZRTI MFP & BHULI for kind information please